न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

सुरजा पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–कुसुमघाटी

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 32/2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

8.8.19

अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 373/रा0 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा– कुसुमघाटी के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापति आमंत्रित हेतु विधियत् नोटिस निर्गत किया गया।

अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– कुसुमघाटी में दिनांक 04.07.2019 को श्री बंगरु पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री सुरजा पहाडिया पिता–कारथी पहाडिया, ग्राम– कुसुमघाटी, को मौजा– कुसुमघाटी में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान वहाल होने का प्रस्ताव रखा।

अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– कुसुमघाटी एक प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधान का पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सुरजा पहाडिया पिता–कारथी पहाडिया, ग्राम–कुसुमघाटी, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है।

श्री सुरजा पहाडिया जमाबंदी न0 10 के खतियानी रैयत धर्मा पहाडिया के परपोता है। पूर्व में श्री सुरजा पहाडिया ग्राम–कुसुमघाटी के कार्यवाहक प्रधान के कार्य करते आ रहे है, तथा ससमय मालगुजारी लागान देते आ रहे है। अतएव श्री सुरजा पहाडिया प्रधान बनने योग्य है।

अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री सुरजा पहाडिया को मौजा– कुसुमघाटी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

ज्ञापांक 367/रा0
दिनांक 8.8.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner